

6. यह कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में व्यवस्था दी है कि जो कोई बार हडताल का आवाहन करेगा वह व्यवसायिक कदाचरण का दोषी होगा तथा न्यायालय की अवमानना का भी दोषी होगा।
7. यह कि मा0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के पश्चात व्यवस्था यह बनी थी कि जिसे भी न्यायालय से शिकायत हो वह सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय को शिकायत करेगा। मा0 उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज अथवा निर्देशित अधिकारी उस शिकायत पर जांच करेंगे व कार्यवाही करेंगे।
8. यह कि मैं वर्ष 1978 से विधि व्यवसाय में हूँ तथा मेरी उपस्थिति विद्वान न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में कई बार हुई। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी मेहनत व ईमानदारी से कार्य करते हैं। इनके द्वारा श्री राहुल उपध्याय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था। उसी रंजिश के कारण जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के कारण यह समी प्रकरण एक षडयन्त्र के तहत कराया गया है।
9. यह कि सम्बन्धित अधिकारी जनपद बुलन्दशहर में करीब 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है तथा आज तक मेरे द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विपरीत तथ्यों की शिकायत का नहीं सुना गया है। कई विद्वान अधिवक्तागण का मत है अधिकारी सत्य निष्ठा से कार्य करते हैं इनका कार्य व आवरण बहुत अच्छा है तथा इनका डिस्पोजल भी त्वरित व आधिक हैं।
10. यह कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलन्दशहर व सिविल बार एसोसिएशन बुलन्दशहर के पदाधिकारी व्यवसायिक कदाचरण के दोषी हैं तथा न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अवमानना के भी दोषी हैं।
11. यह कि संलग्न विधि ब्यस्थाओं से स्पष्ट है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त मामले में कार्यवाही अवश्य होगी है। हडताल के प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न है।
12. यह कि मा0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाएं संलग्न है।


सत्यापन :- मैं शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र की धारा-1 ता 12

मेरे व्यक्तिगत एवं विली जान मे सब सूच व सही है कोई बात झूठ व छिपायी नहीं है।


सत्यापन स्थान- बुलन्दशहर
दिनांक :- 25.03.2021

शपथकर्ता
जनपद बुलन्दशहर

शपथकर्ता



3671



Handwritten signature and text at the bottom of the document.